

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 179/2023 शीर्षक लागत बनाम मोमलिख

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	<p>05/08/2024 पत्रावली पेश हुई। समयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/08/2024 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
	<p>21/08/24 पत्रावली पेश हुई। समयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/08/2024 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
	<p>24/09/2024 पत्रावली पेश हुई। समयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/11/2024 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
	<p>20/11/2024 पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अग्रणी अधिवक्ता ने जायति पत्र आदेश 01 निम्न 10 c.p.c. का रवीकाल कि जाते हेतु सक्षमति उद्घान की। अतः जायति पत्र अन्तर्गत आदेश 01 निम्न 10 c.p.c. का रवीकाल कि जात है। अधिवक्ता अग्रणी के लेशो किन शीर्षक पेश कि जाते शामिल फावली है। अधिवक्ता अग्रणी शीर्षक अग्रणी कि की तलबी हेतु अग्रणी पेश की जाती कि जाते। फावली वाले तलबी दिनांक 10/12/2024 को पेश की।</p>	<p>जयप्रकाश आराम सिंह 10/12/2024 शीर्षक पेश की।</p>

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 179/2023 शीर्षक जागा बनाम मांगी/लाल

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	<p>10/12/2024 पत्रावली पेश हुई। समयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चरपा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>22/01/2025</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर रीटर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
<p>22/01/25 पत्रावली पेश हुई। उपर्युक्त अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता पार्टी ने उक्त के नोटिस के मामले में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता पार्टी का उक्त के संबंध में कार्यवाही नहीं करने से मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पार्टी का जमाना-का नोटिस में खातिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभाह्वी, नम्बर के नमकी जावे।</p>	<p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द</p>	